

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के व्यय वहन की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता की क्षति पूरक वृक्षारोपण करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए वन विभाग सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14-2-2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में विभाग द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण के व्यय वहन की बांझित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी तथा राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण करने की वचनबद्धता दी जाती है।


प्रमाणित निदेशक
सांख्यिक वानिजी वन प्रभाग
फतेहपुर (उ०प्र०)
फोन नं०-05180-224493


PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR